अनिल क्षेत्रपाल न्यायधीश के सामने

कलेक्टर के माध्यम से हरियाणा राज्य और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स यूनिवर्सल पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म और अन्य-प्रतिवादी

आरएसए नंबर 2003 का 1022.

02 मार्च 2020

पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953–एस.10-ए–हरियाणा भूमि धारण सीमा अधिनियम, 1972-एस.8(1) और 12-यदि 1972 अधिनियम, धारा 10(ए) (बी) के लागू होने से पहले खोला गया उत्तराधिकार 1953 का अधिनियम पूरी तरह से लागू होगा - पुनः खोलना और पुनः निर्धारण अधिशेष भूमि की आवश्यकता है - अधिशेष भूमि राज्य में निहित नहीं होगी।

यह माना गया कि, एक बार उत्तराधिकार प्रवर्तन से पहले खुल गया 1972 अधिनियम के, 1953 अधिनियम की धारा 10-ए का खंड (बी) होगा पूर्ण खेल है और केवल इसलिए कि 1972 अधिनियम लागू किया गया है, यह किसी भी तरह से बड़े उत्तराधिकारियों के लाभ और अधिकार को पराजित नहीं करेगा विरासत के आधार पर भूमि का स्वामी। इससे भी आगे, धारा 10-ए का खंड (बी)। गैर-अनिवार्य उपवाक्य से प्रारंभ होता है। इस प्रकार, खंड (बी) रखा गया है अन्य प्रावधानों की तुलना में उच्च स्तर पर। खण्ड को ध्यान से पढ़ने पर (बी), यह स्पष्ट है कि अधिशेष क्षेत्र को फिर से खोलना और पुनर्निर्धारण करना इसकी परिकल्पना केवल दो स्थितियों में की जाती है, (i) जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है राज्य सरकार (ii) उत्तराधिकार द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा। इन दोनों को छोड़कर अंततः, अधिशेष क्षेत्र का मामला जो अंतिम हो गया है, नहीं हो सकता पुनः खोला गया। '1972 अधिनियम' की धारा 8(1) भी उपरोक्त का समर्थन करती है व्याख्या।

(पैरा 24)

आर.के.एस.बरार, अतिरिक्त. ए.जी.,हरियाणा
अपीलकर्ताओं के लिए (आरएसए-1022-2003 में)

अनुपम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में
अशोक कुमार, अधिवक्ता एवं
सुखपाल सिंह, एडवोकेट,
याचिकाकर्ता के लिए (CWP-30428-2018 में)

विशाल गर्ग नरवाना, एडवोकेट
अपीलकर्ता के लिए (आरएसए-2557-2010 में)

अरुण जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में

अभिषेक ढुल, अधिवक्ता

अमित जैन, अधिवक्ता

जे.वी.यादव, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए (आरएसए-1022-2003 में)।

-पुनीत कुमार जिंदल, वरिष्ठ अधिवक्ता
जेपी राणा, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए (आरएसए-1022-2003 में)

शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में
अनुपमा अरिगाला, वकील
प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के लिए (आरएसए-1022-2003 में)

गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता,
हस्तक्षेपकर्ता के लिए (आरएसए-1022-2003 में)

हर्ष बंगर, वकील
आवेदक के लिए (CM-8507-C-2019 में RSA-1022-2003 में)

आशीष गुप्ता, अधिवक्ता,
आवेदक के लिए (CM-9619-C-2017 में RSA-2557-2010 में)।

अनिल क्षेत्रपाल, न्यायधीश

(1) इस निर्णय से, आरएसए-1022-2003, आरएसए-2557-2010 और CWP-30428-2018 का सामान्य प्रश्न उठते ही निपटारा कर दिया जाएगा दृढ़ संकल्प के लिए.

(2) हालाँकि, यह न्यायालय इन दोनों का निपटारा कर सकता था द्वारा पारित निर्णय को देखकर ही नियमित द्वितीय अपील की जा सकती है 1996 के आरएसए संख्या 3001 में यह न्यायालय 25.02.2019 को निर्णय लेता है हालाँकि, मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल है और एक भाई न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय, इस न्यायालय ने किया है ने समस्त मुद्दों का संदर्भ में पुनः परीक्षण करना उचित समझा 2014 के आरएसए नंबर 2301 और अन्य सुप्रीम कोर्ट में पारित फैसले के बारे में पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय।

(3) जिस प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है वह यह है कि "यदि बड़ा है।" के अंतर्गत घोषित अधिशेष भूमि के उपयोग से पहले भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 के प्रावधान (इसके बाद इसे "1953 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और इसकी घोषणा हरियाणा भूमि धारण सीमा अधिनियम, 1972 (इसके बाद संदर्भित किया जाएगा)। "1972 अधिनियम") के रूप में, क्या उसके कानूनी उत्तराधिकारी इसके हकदार हैं विरासत में मिली भूमि का ध्यान रखते हुए अधिशेष मामले का पुनर्निर्धारण उन्हें या 1972 का अधिनियम अधिकारियों को पुनर्निर्धारण से रोक देगा अधिशेष भूमि का मामला बड़े भूमि स्वामी के उत्तराधिकारियों के हाथ में होने के कारण अधिशेष भूमि अब शासित हरियाणा राज्य के क्षेत्र में आती है 1972 अधिनियम?

(4) सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य के निर्माण से पहले हरियाणा का, वह क्षेत्र जो अब हरियाणा राज्य का हिस्सा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ का हिस्सा था पंजाब के संयुक्त राज्य की. कृषि सुधार लाने की दृष्टि से और राज्य के निदेशक सिद्धांतों में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करना नीति के अनुसार विधायिका ने अधिकतम सीमा का प्रावधान करते हुए 1953 अधिनियम अधिनियमित किया कृषि भूमि की जोत. अधिनियम के पीछे का उद्देश्य जोतने वाले को स्वामित्व प्रदान करना था।

(5) 1953 का अधिनियम घोषणा की प्रक्रिया निर्धारित करता है अधिशेष क्षेत्र और उसका उपयोग। के निर्णय हेतु वर्तमान मामले में, 1953 की धारा 10-ए, 10-बी पर ध्यान देना उचित होगा पंजाब सिक्योरिटीज के अधिनियम और नियम 20-ए, 20-बी और 20-सी भूमि काश्तकारी नियम, 1956 (इसके बाद इसे 1956 के रूप में संदर्भित किया जाएगा नियम") जो निम्नानुसार निकाले गए हैं: -

<u>"1953 अधिनियम की धारा 10-ए और 10-बी:-</u>

10-ए । बेदखल किरायेदारों के पुनर्वास के लिए अधिशेष क्षेत्र.-
(ए) राज्य सरकार, या उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी
इस संबंध में, किसी भी अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होगा बेदखल किए गए या निकाले जाने वाले किरायेदारों के पुनर्वास के लिए, धारा के अंतर्गत

(i) धारा 9 की उपधारा (1) की।

(बी) किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद
समय लागू है [और भूमि के मामले में बचाएं के लिए किसी भी कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया समय से लागू होना या उत्तराधिकार द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा होना] कोई स्थानांतरण नहीं या भूमि का अन्य स्वभाव जो अधिशेष में शामिल है इस अधिनियम के प्रारंभ में क्षेत्र, को प्रभावित करेगा खंड (ए) में उसका उपयोग।

स्पष्टीकरण - किसी अधिशेष क्षेत्र का ऐसा उपयोग नहीं होगा भूमि-स्वामी से किराया प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित करना किरायेदार इतना बसे.

(सी) किसी के अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से इस धारा के तहत व्यक्ति, कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश प्रारंभ के बाद प्राप्त एक न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम और ऐसे व्यक्ति के क्षेत्र को कम करने के प्रभाव को, जिसे उसके अधिशेष क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता था, नजरअंदाज कर दिया जाएगा

10-बी. विरासत द्वारा बचत उपयोग के बाद लागू नहीं होगी अधिशेष क्षेत्र का - जहां उत्तराधिकार खुल गया है अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी भाग का उपयोग इसके अंतर्गत किया गया है धारा 10-ए के खंड (ए), के पक्ष में निर्दिष्ट बचत उस धारा के खंड (बी) के तहत विरासत द्वारा एक उत्तराधिकारी होगा इस प्रकार उपयोग किए गए क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगा।

1956 के नियम 20-ए, 20-बी और 20-सी:-

20-ए प्रमाण पत्र जारी करना- प्रत्येक किरायेदार को दिया जाएगा फॉर्म K-6 में प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से आवंटित भूमि का वर्णन हो उसे। प्रत्येक प्रमाणपत्र की एक प्रति भेजी जाएगी सम्बंधित पटवारी के साथ-साथ उस भू-स्वामी को भी जिसकी जमीन है किरायेदार को पुनर्स्थापित किया जाना है, और एक अन्य प्रति होगी रिकार्ड हेतु फ़ाइल में रखा गया।

20-बी कब्जे की सुपुर्दगी [(1) आवंटन के आदेश के बाद किसी भी अधिशेष क्षेत्र को सर्कल राजस्व में पारित कर दिया गया है अधिकारी, आवश्यक पारित कराने के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव देंगे जैसा भी मामला हो, भूमि मालिक या किरायेदार को निर्देश देने वाले आदेश हो, उसके अधिशेष क्षेत्र में भूमि का कब्ज़ा दिलाना सर्कल राजस्व अधिकारी, जिसे एक माना जाएगा धारा 19-सी के तहत सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी कब्ज़ा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए]।

(2) प्रत्येक किरायेदार को अधिशेष क्षेत्र पर पुनः बसाया जाएगा के भीतर उसे आवंटित भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए बाध्य है उस तिथि से दो माह की अवधि जिस दिन सीमांकन किया गया भूमि उसकी उपस्थिति में या उसके भीतर साइट पर बनाई गई है विस्तारित अवधि, जैसा भी हो, दर्ज किए जाने वाले कारणों से लेखन, सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। भूमि का कब्ज़ा किरायेदार को दिया जाएगा अंचल राजस्व पदाधिकारी स्व.

(3) उस भूमि का कब्ज़ा जिस पर किरायेदार है सामान्यतः फसल कटने के बाद पुनर्वास दिया जाएगा। अगर, हालाँकि, सर्कल राजस्व अधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं फसल से पहले किसी भी किरायेदार को भूमि का कब्ज़ा प्रदान करें फसल और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण काटा जाता है इसे कब्जे से पहले पटवारी द्वारा तैयार किया जाएगा किरायेदार द्वारा लिया जाता है. कथन की एक प्रति होगी भूमि मालिक के साथ-साथ किरायेदार को भी प्रदान किया गया।

20-सी. पुनर्वास की शर्तें - किरायेदार, कौन है इस भाग के अंतर्गत पुनः बसाया गया-

(ए) उस भूमि मालिक का किरायेदार होगा जिसके नाम पर प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

(बी) किराए की उतनी ही राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ऐसी भूमियों के लिए उस संपत्ति में प्रथागत के अधीन अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिकतम निर्धारित और

(सी) उस भूमि के संबंध में जिस पर वह पुनर्वासित है अनुबंध 'सी' में दिए गए अनुसार काबुलियत या पट्टा निष्पादित करें पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा नियमों के साथ संलग्न, 1953, जमीन मालिक के पक्ष में होने से पहले ज़मीन पर कब्ज़ा।"

(6) हरियाणा राज्य के अलग हो जाने के बाद इसकी विधायिका बनी हरियाणा ने एक अलग क़ानून बनाया-'1972 अधिनियम'। अधिनियम पहले था हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 1972. अधिनियम में, नियत दिन को "24 वें" के रूप में परिभाषित किया गया था जनवरी 1971 का दिन" हरियाणा राज्य ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये 1953 अधिनियम. वर्तमान मामले के निर्णय के प्रयोजन के लिए, धाराएँ 1972 अधिनियम के 8, 12 और 33 प्रासंगिक हैं जिन्हें इस प्रकार निकाला गया है

अंतर्गत: -

"8. कुछ स्थानान्तरण या स्थानान्तरण नहीं अधिशेष क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए.

- (1) संघ द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मामले में बचत किसी भी कानून के तहत सरकार या राज्य सरकार के लिए पेप्सू कानून के तहत किसी समय लागू या किरायेदार द्वारा पंजाब कानून या विरासत द्वारा एक वारिस द्वारा, कोई हस्तांतरण या से अधिक भूमि का निपटान-

(ए) पेप्सू कानून या पंजाब के तहत अनुमेय क्षेत्र 30 जुलाई 1958 के बाद का कानून; और

(बी) इस अधिनियम के तहत स्वीकार्य क्षेत्र, एक प्रामाणिकता को छोड़कर नियत दिन के बाद स्थानांतरण, या निपटान, के तहत राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करेगा पूर्वोक्त अधिनियम अधिशेष क्षेत्र के लिए जिस पर यह होगा हकदार लेकिन ऐसे हस्तांतरण या स्वभाव के लिए:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने प्राप्त किया हो इस तरह के हस्तांतरण, या भूमि के निपटान के तहत लाभ होगा इसे बहाल करने, या इसके लिए उस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बाध्य है जिससे उसने इसे प्राप्त किया है।

(2) स्थानान्तरण या स्वभाव को सिद्ध करने का भार स्थानांतरण पर एक प्रामाणिक व्यक्ति होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि का हस्तांतरण या बेदखली करता है उप- के प्रावधानों के उल्लंघन में नियत दिन धारा (1), इस प्रकार हस्तांतरित या निपटाई गई भूमि होगी गणना में उस व्यक्ति का स्वामित्व या धारित माना जाता है अनुमत क्षेत्र. अनुमति से अधिक भूमि इस प्रकार गणना किया गया क्षेत्र व्यक्ति का अधिशेष क्षेत्र होगा यदि ऐसे स्थानांतरण के बाद उसके पास बचा हुआ क्षेत्र बराबर है इस प्रकार अधिशेष क्षेत्र की गणना की गई, पूरा क्षेत्र उसके पास चला गया अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा। यदि क्षेत्र साथ छोड़ दिया वह इस प्रकार गणना किये गये कुल अधिशेष क्षेत्र से कम है उसके पास छोड़े गए क्षेत्र को अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा और इस प्रकार हस्तांतरित भूमि में कमी की सीमा तक या निस्तारित को भी अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा। अगर एक से अधिक स्थानान्तरणी होने पर की कमी है अधिशेष क्षेत्र प्रत्येक स्थानांतरित व्यक्ति से बनाया जाएगा हस्तांतरित या निपटाई गई भूमि के अनुपात में उन्हें।

12. अधिशेष क्षेत्र का निहितार्थ। --(1) अधिशेष एक भूस्वामी का क्षेत्र, (उस तारीख से जब वह है इस प्रकार घोषित किया गया माना जाएगा कि इसे अर्जित किया गया है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार) और सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज (आकस्मिक ब्याज सहित, यदि कोई हो, फिलहाल किसी भी कानून, प्रथा या उपयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे क्षेत्र में सभी व्यक्तियों का बल समाप्त हो जाएगा और ऐसे अधिकार, स्वामित्व और हित राज्य में निहित होंगे सरकार किसी भी बंधन से मुक्त:

बशर्ते कि जहां कोई भी भूमि अनुमन्य सीमा के भीतर हो गिरवीकर्ता का क्षेत्र कब्जे के साथ गिरवी रखा जाता है और गिरवीदार अधिकार के अधिशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया हुआ माना जायेगा और वही इसमें निहित होगा.

(2) किरायेदार का उसके अधिशेष पर अधिकार और हित वह क्षेत्र जो अनुमत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है भूस्वामी समाप्त हो जाएगा।

(3) क्षेत्र अधिशेष या किरायेदारों के लिए अनुमेय घोषित क्षेत्र पंजाब कानून के तहत और क्षेत्र को पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित किया गया है, जो अब तक राज्य में निहित नहीं है सरकार, राज्य में निहित मानी जाएगी नियत दिन और क्षेत्र से प्रभावी सरकार जिसे लंबित कार्यवाही में इस प्रकार घोषित किया जा सकता है पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत फैसला किया जाएगा प्रभाव से राज्य सरकार में निहित माना जायेगा ऐसी घोषणा की तारीख से.

(4)अन्तर्गत अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण हेतु यह अधिनियम, किसी न्यायालय या अन्य का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अधिकार, नियत दिन के बाद प्राप्त किया गया और प्राप्त किया गया अधिशेष क्षेत्र को कम करने के प्रभाव को नजरअंदाज किया जाएगा।

33. निरसन और बचत.-(1) के प्रावधान पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953, और पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955, जो हैं इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं निरस्त.

(2) अधिनियमों के प्रावधानों का निरसन उप-धारा (1) में उल्लिखित है, इसके बाद जैसा कहा गया है अधिनियम, प्रभावित नहीं होंगे

(i) धारा के अंतर्गत भूमि क्रय हेतु आवेदन पत्र पंजाब कानून की धारा 18 या पेप्सू कानून की धारा 22, जैसे मामला तत्काल समक्ष लंबित हो सकता है इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, जिसका निपटारा किया जाएगा यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था;

(ii) अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण हेतु कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लंबित, उक्त अधिनियमों में से किसी एक के प्रावधानों के तहत, जो जारी रखा जाएगा और निपटारा किया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम नहीं था पारित कर दिया गया है, और इस प्रकार निर्धारित अधिशेष क्षेत्र निहित हो जाएगा में, और राज्य सरकार द्वारा तदनुसार उपयोग किया जाएगा इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ.

(3) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, कोई भी प्राधिकारी ऐसा नहीं करेगा यदि कोई कार्यवाही पहले शुरू की गई हो तो एक आदेश पारित करें या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जो असंगत है इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ।"

(7) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम और हरियाणा अधिशेष और अन्य क्षेत्रों का उपयोग योजना, 1976 भी सूचित किया गया था.

(8) 1953 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया 1972 का अधिनियम, मुख्य मुद्दा है जो विचार के लिए उठता है। जबकि उपरोक्त प्रावधानों की जांच करते हुए, यह न्यायालय आरएसए का निर्णय लेता है 1996 के क्रमांक 3001 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि बड़े भूमि स्वामी की मृत्यु पहले हो जाती है 1972 अधिनियम का प्रवर्तन और उत्तराधिकार खुलता है, फिर 1953 अधिनियम के तहत अधिकारियों को अधिशेष को फिर से निर्धारित करना आवश्यक है क्षेत्र का मामला संबंधित उत्तराधिकारियों के हाथ में है। व्याख्या आधारित है 1953 अधिनियम की धारा 10-ए(ए) के खंड (बी) को ध्यान से पढ़ने पर 1956 के नियमों के साथ पढ़ें।

(9) ये अपीलें सुनवाई के लिए कब आईं, इसे ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल महत्वपूर्ण मुद्दा, हरियाणा राज्य के विद्वान वकील और श्री. अनुपम गुप्ता, वरिष्ठ वकील जो पक्ष रखते हैं 2018 के सीडब्ल्यूपी नंबर 30428 में याचिकाकर्ता से सहायता करने का अनुरोध किया गया था अदालत। दोनों वकील कोर्ट की सहायता करने और ड्रॉ कराने में काफी दयालु थे माननीयों की विभिन्न घोषणाओं पर न्यायालय का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय जिसका संबंधित मुद्दे पर कुछ प्रभाव है। यह हो सकता है यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1996 के आरएसए नंबर 3001 पर निर्णय लेते समय, यह न्यायालय
निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया गया:-

“क्या संपत्ति का उत्तराधिकार प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा है अधिशेष भूमि के उपयोग से पहले पुनः- की आवश्यकता होगी संपत्ति का निर्धारण उत्तराधिकारियों के हाथ में है या नहीं भूमि किरायेदारी की पंजाब सुरक्षा के प्रावधानों के अनुसार कार्य"

(10) अब विभिन्न निर्णयों की जांच के लिए मंच तैयार है इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है।

(11) पहला निर्णय, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, वह है पंजाब राज्य (अब हरियाणा) और अन्य बनाम अमर का मामला सिंह और अन्य1 . उपरोक्त निर्णय पर आधारित है 1953 अधिनियम की धारा 10-ए और 18 की व्याख्या। उपरोक्त में वर्ष 1961 में भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और उससे पहले का मामला है न्यायालय धारा के खंड (बी) की व्याख्या के संबंध में नहीं था 10-ए बड़े भूमि स्वामियों की मृत्यु एवं उत्तराधिकार प्राप्त करने के सन्दर्भ में उस अवधि के दौरान खोला गया जब 1953 अधिनियम लागू था।

(12) दूसरा निर्णय जिस पर भरोसा किया गया है वह है दत्तात्रेय गोविंद महाजन और अन्य बनाम राज्य का मामला महाराष्ट्र और अन्य 2 . इस मामले में, विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिसूचित विधायी अधिनियमों की संवैधानिक वैधता एक दृष्टिकोण से है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना विचारार्थ आया। माननीय की एक संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिनियमों की जांच की और सहमति व्यक्त की निर्णयों ने 1953 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। तथापि,

उपरोक्त निर्णय में भी, धारा 10-ए के खंड (बी)। बड़े ज़मीन मालिक की मृत्यु का संदर्भ इसमें शामिल मुद्दा नहीं था।

(13) अगला निर्णय, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, में है अमर सिंह एवं अन्य बनाम अजमेर सिंह एवं अन्य का मामला 3 . में उपरोक्त निर्णय के अनुसार मारू के हाथ की भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया वर्ष 1961 में उनके तीन पुत्रों द्वारा भी समीक्षा आवेदन दायर किया गया था बर्खास्त. हालांकि, एक बार यूटिलाइजेशन के तहत जमीन आवंटित कर दी गयी थी योजना, कार्यवाही का प्रारम्भ मारू के पुत्र द्वारा किया गया। उस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि इसके अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है पंजाब अधिनियम के तहत निर्धारित अधिशेष को फिर से खोलने के लिए हरियाणा अधिनियम। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय में भी, धारा 10-ए का खंड (बी)। न्यायालय द्वारा न तो दबाव डाला गया और न ही जांच की गई।

(14) अगला निर्णय, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, में है जोधा राम (मृत) एलआर बनाम वित्तीय आयुक्त द्वारा, हरियाणा चंडीगढ़ और अन्य 4 . इस मामले में, एक बाद वाला खरीदार बड़े जमीन मालिक ने धारा 9(1)(i) के तहत याचिका दायर की थी 1953 अधिनियम, एक किरायेदार को बेदखल करने की मांग। जमीन बड़े लोगों के हाथ में 21 नवम्बर 1953 को भूमि स्वामी को अधिशेष घोषित कर दिया गया '1953 अधिनियम' की धारा 10-ए (ए) और धारा 8 और 12 की व्याख्या करना '1972 के अधिनियम' के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार जमीन मिल गयी राज्य में निहित, भूमि मालिक को बेदखली की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है किराएदार। उपरोक्त निर्णय में भी जिस प्रश्न का निर्णय हुआ। बिल्कुल अलग था.

(15) अगला निर्णय, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, में है संपूर्ण सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का मामला 5। में उपरोक्त निर्णय से पुनः बड़े भू-स्वामी के तीन पुत्रों पर बालिग होने की दलील देकर कार्यवाही शुरू की चूँकि उन्होंने अधिशेष क्षेत्र पर कब्ज़ा जारी रखा है मामले को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त चुनौती थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। हालाँकि, इस मुद्दे में मौजूदा मामला बिल्कुल अलग है.

(16) अगला निर्णय, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, में है भगवंती देवी (श्रीमती) और अन्य बनाम हरियाणा राज्य का मामला और अन्य 6. उक्त निर्णय में भूमि को सरप्लस घोषित कर दिया गया सन् 1960 में बड़े जमींदार के हाथ में। उसके बाद आवेदन 1956 के नियमों के नियम 8 के तहत उपयोग करने की अनुमति के लिए दायर किया गया था अतिरिक्त भूमि इस आधार पर उनके कब्जे में बनी हुई है कि वे भूमि पर आधुनिक रूप से खेती कर रहे थे। आगे दावा किया गया कि बड़े जमींदार के बेटे बालिग हो गये हैं। न्यायालय ने निरस्त कर दिया 1972 अधिनियम की धारा 8 और 12 की व्याख्या करते समय विवाद।

(17) हाल ही में माननीय द्वारा एक और निर्णय पारित किया गया है मेघ राज (मृत) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानूनी प्रतिनिधि और अन्य बनाम मैनफूल (मृत) के माध्यम से कानूनी प्रतिनिधि एवं अन्य 7 . उपरोक्त को ध्यान से पढ़ने पर निर्णय, यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी-अभी जाँच की है की धारा 26 के संदर्भ में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बाधा 1972 अधिनियम और यह माना गया कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है।

(18) माननीय द्वारा एक और निर्णय पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने आजाद और अन्य बनाम धर्मपाल और के मामले में अन्य 8 जो भी केवल धारा 26 की व्याख्या के संदर्भ में है 1972 अधिनियम के.

(19) माननीय द्वारा एक और निर्णय पारित किया गया है सुरिंदर नाथ दीवान बनाम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा एवं अन्य 9 . उपरोक्त निर्णय पारित एक संक्षिप्त आदेश है और धारा 10 के खंड (बी) के संदर्भ में कोई तर्क नहीं था- अधिनियम के ए. यह उत्तराधिकार का मामला पहले नहीं खुला था बड़े भूस्वामी की मृत्यु पर 1972 अधिनियम लागू करना।

(20) इस न्यायालय की दो डिवीजन बेंच के फैसले हैं परामर्शदाताओं द्वारा भरोसा किया गया। पहला फैसला उजागर मामले में है सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 10। में उपरोक्त निर्णय के अनुसार, डिवीजन बेंच मामले पर विचार कर रही थी सन्दर्भ यह है कि बड़े भू-स्वामी के पुत्र बालिग हो गये थे और क्या हैं इसका असर उस जमीन पर पड़ा जिसे 1953 के तहत अधिशेष घोषित किया गया है कार्यवाही करना। उपरोक्त निर्णय में, मामले की संदर्भ में जांच नहीं की गई 1953 अधिनियम की धारा 10-ए के खंड (बी) का। एक और डिविजन बेंच धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में निर्णय अन्य 11, जिस मुद्दे की जांच की गई वह उस समय के संदर्भ में था जब बड़े जमींदार थे 1972 के एक्ट यानि हरियाणा एक्ट के लागू होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। डिवीजन बेंच द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर देखा, यह माना कि एक बार स्वामित्व की धारा 12 के तहत अधिशेष घोषित भूमि राज्य में निहित हो गई है 1972 अधिनियम में कोई पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता।

(21) इस संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि एक तीन जसवन्त कौर और अन्य के मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 12, ने इस पहलू की जांच की है संविधान की वैधता के संदर्भ में. उपरोक्त के पैरा 8 एवं 9 निर्णय निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> “8. धारा 4 और 8 के प्रावधान, विशेषकर धारा 8, प्रथम प्रभाव में असंगत प्रतीत होता है धारा 12 (3) के प्रावधान लेकिन, जैसा कि हमने पहले कहा, यह हमारा है प्रयास करके संघर्ष से बचने का प्रयास करना पहला कर्तव्य है प्रत्येक भाग में सामंजस्य स्थापित करें और सामंजस्य स्थापित करें ताकि प्रत्येक भाग ऐसा हो असरदार। की एक नज़दीकी और आलोचनात्मक परीक्षा
> प्रावधानों से पता चलता है कि वे असंगत नहीं हैं और सभी वे अधिनियम की सामान्य योजना में अच्छी तरह फिट बैठते हैं। धारा 8 की धारा 12(3) द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया है अधिनियम, न ही यह कहा जा सकता है कि हम जो विचार कर रहे हैं, वह यह है आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरस्त कर दिया गया। धारा 12(3) थी 1976 के अधिनियम XVII द्वारा संशोधन के माध्यम से पेश किया गया संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार ऐसा माना जाता है 23-12-1972 को लागू हुआ। का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका धारा 8 और 12(3) का अर्थ पूर्ण प्रभाव देना होगा धारा 8(1) से 23-12-1972 तक, अर्थात बहिष्कृत करना धारा 12(3) के क्रियान्वयन से, स्थानान्तरण किये गये से 23.12.1972 तक जो धारा 8(1) द्वारा संरक्षित हैं अधिनियम, अर्थात्, (1) राज्य या केंद्र द्वारा भूमि का अधिग्रहण सरकार, (2) पेप्सू के तहत एक किरायेदार द्वारा अधिग्रहण कानून या पंजाब कानून, या (3) किसी उत्तराधिकारी द्वारा अधिग्रहण विरासत। अनुमति से अधिक भूमि के अन्य हस्तांतरण पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत क्षेत्र होगा यदि

स्थानांतरण 30.7.1958 से पहले किए गए थे तो संरक्षित। हम कोई कारण नहीं दिखता कि धारा 8 और 12(3) क्यों नहीं होनी चाहिए इस सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्याख्या की जाए ताकि दोनों प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। जारी किये गये निर्देशों से पता चलता है समय-समय पर सरकार ने भी इसका अर्थ लगाया है प्रावधान इसी प्रकार हैं। मेमो नंबर 5726-एआर में (आईए)-76/28819, दिनांक 15.9.76, वित्तीय द्वारा संबोधित आयुक्त एवं शासन सचिव,

हरियाणा, राजस्व विभाग, के आयुक्तों को अम्बाला और हिसार डिवीज़न आदि के बारे में कहा जाता है:-- "अतिरिक्त क्षेत्र पहले ही पात्र लोगों द्वारा खरीद लिया गया है पंजाब कानून की धारा 18 के तहत किरायेदारों/व्यक्तियों और पेप्सू कानून की धारा 22 पर विचार किया जाना चाहिए कानूनी रूप से उपयोग किया गया है और इसलिए, निहित नहीं किया जाना चाहिए राज्य सरकार में हरियाणा की धारा 12(3) के तहत भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972। केवल ऐसे अप्रयुक्त अधिशेष क्षेत्र जो पात्र द्वारा नहीं खरीदा गया था पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत किरायेदारों/व्यक्तियों को चाहिए राज्य सरकार में निहित माना जायेगा हरियाणा की धारा 12(3) के तहत नियत दिन से भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972, में परिवर्तन किया जा सकता है राज्य सरकार के पक्ष में तुरंत और ऐसे क्षेत्र को पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें के प्रावधानों के अनुरूप लिया जा सकता है अधिशेष और अन्य क्षेत्रों का उपयोग योजना, 1976।"

पुनः ज्ञापांक 6632-AR(II)-76/33309, दिनांक 29.10.76 में यह कहा जाता है,

''सरकार के संज्ञान में यह बात आयी है सही ढंग से व्याख्या करने में समझ की कुछ कमी है की धारा 8 और धारा 12(3) के प्रावधान हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा भूमि सीमा की धारा 8 होल्डिंग्स एक्ट, 1972 अन्य बातों के साथ-साथ स्थानांतरण पर भी रोक लगाता है के अंतर्गत अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का निपटान 30 जुलाई, 1958 के बाद बने पुराने अधिनियम, इसलिए, पंजाब के अधीन अधिशेष क्षेत्र का स्थानांतरण या निपटान 30 जुलाई 1958 से पहले बना कानून या पेप्सू कानून कानून द्वारा नियमित किया जाएगा या दूसरे शब्दों में वे प्रभावित करेंगे अधिशेष पूल. इसके फलस्वरूप अधिशेष क्षेत्र जो भूस्वामियों द्वारा हस्तांतरित या निपटारा कर दिया गया था 30.7.1958 से पहले, राज्य सरकार में निहित नहीं होगा भूमि पर हरियाणा सीमा की धारा 12(3) के तहत होल्डिंग्स एक्ट, 1972, और इसलिए, ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता अधिशेष के उपयोग के अनुसार उपयोग किया जाता है और अन्य क्षेत्र योजना, 1976।"

9. श्री नौबत सिंह, विद्वान सहायक अधिवक्ता जनरल, इस बात पर भी सहमत हुए कि हमें धारा 8 और में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए धारा 12(3) जिस तरीके से हमने किया है लेकिन वह सुझाव दिया कि जिस तिथि तक तीनों का स्थानांतरण होगा हमारे द्वारा पहले निर्दिष्ट श्रेणियां (1), (2) और (3) होनी चाहिए मान्यता प्राप्त हो, नियत दिन (24.1.1971) हो और वह तारीख नहीं जिस दिन धारा 12(3) लागू हुई। क र ते हैं। इस बात से सहमत नहीं। 1976 के अधिनियम XVII

की धारा 1(2) स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अधिनियम 23-12-1972 को लागू होगा। हमें इसे कुछ अर्थ और प्रभाव देना चाहिए। हमारे विचार में, धारा 12(3) के 23-12 से लागू होने का प्रभाव- 1972 की धारा 8 पर तीन श्रेणियों के तबादले किये गये हैं 23-12-1972 तक हमारे द्वारा निर्दिष्ट को बाहर रखा जाएगा धारा 12(3) के संचालन से, जो भूमि के हस्तांतरण में शामिल है पंजाब या पेप्सू के अंतर्गत अनुमेय क्षेत्र से अधिक 30-7-1958 और उससे पहले बने कानून की रक्षा होगी धारा 8 द्वारा छोड़ी गई अन्य सभी भूमि इसमें निहित होगी राज्य सरकार नियत दिन से प्रभावी होगी।"

(22) अगला मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या विचार किया जा रहा है 1972 अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रदान की गई क्षेत्राधिकार की बाधा, जो निम्नानुसार निकाला गया है कि सिविल वाद चलने योग्य है या नहीं:-

"26. क्षेत्राधिकार की बाधा.--(1) कोई भी सिविल न्यायालय ऐसा नहीं करेगा
का अधिकार क्षेत्र है -

(ए) विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मनोरंजन करना या आगे बढ़ना
भूमि के हस्तांतरण के लिए एक अनुबंध जो के अधिकार को प्रभावित करता है
इस अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र के लिए राज्य सरकार;
या

(बी) किसी भी मामले का निपटान, निर्णय या निपटान करना इस अधिनियम को निपटाने, निर्णय लेने या निपटाने की आवश्यकता है वित्तीय आयुक्त, कलेक्टर या विहित अधिकार।

(2) वित्तीय आयुक्त का कोई आदेश नहीं आयुक्त, कलेक्टर, या विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत या इसके अनुसरण में किए गए कार्यों को बुलाया जाएगा किसी भी अदालत में प्रश्न करें।

(23) सन्दर्भ में सिविल वाद की पोषणीयता का पहलू सीलिंग कानूनों की जांच पांच जजों की बेंच ने की है हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम विनोद कुमार के मामले में न्यायालय और अन्य 13 .

(24) द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों का परीक्षण कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित माननीय का प्रसिद्ध निर्णय कमला मिल्स लिमिटेड बनाम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे 14 में सात जजों की बेंच द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि एक विशेष क़ानून के तहत गठित न्यायाधिकरण/न्यायालय का होना पाया गया है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन या उसके विरुद्ध कार्य किया विशेष क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया, फिर सिविल कोर्ट ने की है क्षेत्राधिकार. न्यायालय ने यह माना कि सिविल न्यायालय के पास प्राथमिक है नागरिक संहिता की धारा 9 के अनुसार सभी नागरिक विवादों पर अधिकार क्षेत्र प्रक्रिया। सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रावधान इसे सिविल का अधिकार क्षेत्र मानने से पहले सख्ती से समझा जाना चाहिए न्यायालय को एक नागरिक विवाद की जांच कर ने से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर देखा गया है, सक्षम प्राधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया है 1953 अधिनियम की धारा 10-ए के खंड (बी) का अधिदेश। पहले 1972 अधिनियम के अधिनियमन में 1953 अधिनियम के

प्रावधान थे यह उस क्षेत्र के संबंध में भी लागू है जो अब राज्य का हिस्सा है हरयाणा। एक बार, उत्तराधिकार के प्रवर्तन से पहले खोला गया 1972 अधिनियम, 1953 अधिनियम की धारा 10-ए के खंड (बी) में पूर्ण होगा खेलें और केवल इसलिए कि 1972 अधिनियम लागू हो गया है, ऐसा नहीं होगा किसी भी प्रकार से बड़े भूमि स्वामी के उत्तराधिकारियों के लाभ एवं अधिकार को हराना विरासत। इससे भी आगे, धारा 10-ए का खंड (बी) गैर से शुरू होता है- प्रत्यक्ष खण्ड. इस प्रकार, खण्ड (बी) को उच्चतर स्थान पर रखा गया है अन्य प्रावधानों की तुलना में कुरसी। खण्ड (बी) को ध्यान से पढ़ने पर, यह है स्पष्ट है कि अधिशेष क्षेत्र को फिर से खोलना और पुनर्निर्धारण करना है केवल दो स्थितियों में परिकल्पना की गई है, (i) जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है राज्य सरकार (ii) उत्तराधिकार द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा। इन दोनों को छोड़कर अंततः, अधिशेष क्षेत्र का मामला जो अंतिम हो गया है, नहीं हो सकता पुनः खोला गया। '1972 अधिनियम' की धारा 8(1) भी उपरोक्त का समर्थन करती है
व्याख्या।

(25) और भी आगे, इसके तहत बनाए गए नियमों को पढ़ने से 1953 अधिनियम जैसा कि ऊपर निकाला गया है, यह स्पष्ट है कि अधिशेष का निहितार्थ राज्य में भूमि की प्रक्रिया 1953 अधिनियम के अंतर्गत ही होती है आवंटन नियमों एवं कबूलियतनामे के अनुसार पूरा हुआ है कब्जा दिए जाने के बाद आवंटी द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। यह 1953 के अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत अनोखा प्रावधान है इसके तहत अब '1972 अधिनियम' में इसे समाप्त कर दिया गया है हरियाणा राज्य पर लागू। हरियाणा राज्य में धारा 12 1972 अधिनियम, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, यह प्रावधान करता है कि भूमि का अधिशेष क्षेत्र मालिक सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाता है क्षेत्र को अधिशेष या किरायेदार घोषित किए जाने की स्थिति में नियत दिन पंजाब कानून के तहत स्वीकार्य क्षेत्र या क्षेत्र के संबंध में ऐसी घोषणा की तारीख से हरियाणा अधिनियम में अधिशेष घोषित किया गया। इस प्रकार, 1972 अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं अधिशेष भूमि को निहित करने के संबंध में परिवर्तन। हालाँकि, विरासत किसी उत्तराधिकारी द्वारा अधिनियम 1972 की धारा 8 द्वारा बचाया जाता है, ताकि दिया जा सके 1953 अधिनियम की धारा 10-ए के खंड (बी) पर पूरा प्रभाव।

(26) श्री आर.के.एस.बराड़ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील हरियाणा राज्य ने पारित एक फैसले की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है 2014 के आरएसए संख्या 2301 में एक समन्वय पीठ द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य बनाम रोहित तलवार एवं अन्य, दिनांक 11.02.2016 को निर्णय दिया गया तर्क है कि एक अन्य मुकदमे में क्रेता द्वारा श्रीमती से। शरबती देवी, यह माना गया है कि अधिशेष भूमि श्रीमती के हाथों में घोषित की गई है। शरबती देवी नियत दिन यानी से राज्य के साथ निहित हो जाती हैं। 24.01.1971.

(27) इस न्यायालय ने पारित निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ा है रोहित तलवार (सुप्रा) का मामला। गौरतलब है कि इससे पहले आदरणीय भाई न्यायाधीश, जिन्होंने रोहित तलवार के मामले का फैसला किया 1953 की धारा 10-ए(बी) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया कार्यवाही करना। वास्तव में, बड़े की मृत्यु के प्रभाव के संबंध में कोई तर्क नहीं है भूस्वामी, विशेषकर तब जब अधिशेष भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो 1953 अधिनियम के तहत उठाया गया था।

(28) इस स्तर पर, यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि माननीय वित्तीय आयुक्त, हरियाणा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय और अन्य बनाम श्रीमती। केला

देवी और अन्य 15 ने इसे मात्र बरकरार रखा है 1953 अधिनियम के तहत आवंटियों को भूमि आवंटन पर्याप्त नहीं है और जब तक कि अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट औपचारिकताएं न हों पूरा होने पर, 1953 अधिनियम के तहत राज्य में भूमि का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 5 और 6 निम्नानुसार निकाले गए हैं: -

> “5. का पूरा अर्थ और प्रभाव समझने के लिए धारा 10-ए के प्रावधान बनाना आवश्यक है पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा नियम, 1956 के नियम 18, 20-ए, 20-बी और 20-सी का क्रॉस-रेफरेंस (इसके बाद) नियम के रूप में संदर्भित)। नियम 18 अन्य पुनर्वासित किरायेदारों को "अधिशेष क्षेत्र" के आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 20-ए आवंटन प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान करता है उन्हें भूमि की आपूर्ति, और नियम 20-बी में वितरण का प्रावधान है कब्ज़ा और इसे पुनर्स्थापित किरायेदार के लिए अनिवार्य बनाता है आवंटित भूमि पर एक निश्चित अवधि के भीतर कब्जा कर लें दो महीने या ऐसी विस्तारित अवधि जिसकी अनुमति दी जा सकती है संबंधित अधिकारी. नियम 20-सी, अन्य बातों के साथ-साथ, के लिए प्रावधान करता है पुनर्वासित किरायेदार द्वारा "क़ाबुलियत" या "पट्टा" का निष्पादन। यह इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि जबकि भूमि का आवंटन एक प्रारंभिक है "अधिशेष क्षेत्र" के उपयोग की प्रक्रिया में चरण, यह उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है क्योंकि यह उसके लिए आवश्यक है आवंटी को आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, कब्जा लेना होगा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि का, और उसके संबंध में "क़ाबुलियत" या "पट्टा" निष्पादित करना। की धारा 10-ए द्वारा विचारित उपयोग की प्रक्रिया इसलिए, किसी भी "अतिरिक्त क्षेत्र" के संबंध में अधिनियम पूरा हो गया है। केवल तभी जब आवंटी द्वारा उस पर कब्ज़ा ले लिया गया हो या आवंटन और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं पूरा हुआ, और इस तर्क में कोई बल नहीं है कि मात्र आवंटन के आदेश का उस प्रक्रिया को पूरा करने पर प्रभाव पड़ता है।
>
> 6. इस संबंध में नियम का भी हवाला दिया जा सकता है नियमों का 20-डी जो यह प्रावधान करता है कि यदि कोई किरायेदार ऐसा करता है उसके लिए आवंटित "अधिशेष क्षेत्र" पर कब्ज़ा न करें उसके लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनर्वास, आवंटन रद्द किया जा सकता है और क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है उसका उपयोग किसी अन्य किरायेदार के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। इसलिए इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि एक पूर्ण शीर्षक ऐसा नहीं करता आबंटन के मात्र आदेश पर आबंटिती को पास कर देना, और वह यदि कानून द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो आदेश अस्वीकार्य है पूरे नहीं हुए हैं।”

(29) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह घोषित किया जाता है श्रीमती के निधन पर शरबती देवी, उनका उत्तराधिकार खुला और, इसलिए, 1953 अधिनियम के तहत भूमि का पुनर्निर्धारण आवश्यक था कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में क्योंकि मृत्यु 1972 से पहले हुई थी अधिनियम बनाया गया। अत: अधिशेष क्षेत्र की घोषणा हाथ में है नियुक्त किये जाने पर शरबती देवी का अधिकार हरियाणा राज्य में निहित नहीं होगा दिन यानि 24.01.1971.

(30) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को दोनों पक्षों द्वारा निकाले गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। नीचे की

अदालतें. इसलिए, दोनों अपीलें आरएसए-1022-2003 और प्रभावी हैं आरएसए-2557-2010 को खारिज किया जाता है।

(31) तदनुसार, सीडब्ल्यूपी संख्या 30428 वाली रिट याचिका 2018 का भी निस्तारण हो चुका है।

(32) सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, हैं उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निस्तारण किया गया।

तेजिंदरबीर सिंह

सुरेश पाल सन्धु

अस्वीकरण -

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समज सके और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंगरेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन कार्यावयन

के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

सुरेश पाल सन्धु